अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 147/2013

अपीलार्थी – श्रीमती इन्दु देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय, जिला प्रोग्रम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1693 दिनांक 21.11.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि महिला पर्यवेक्षिका पीपरा द्वारा दिनांक 20.4.2013 को 12.30 बजे पीपरा परियोजना के केन्द्र सं0– 137 राजपूत टोला पश्चिम भाग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में केन्द्र संचालन में निम्न खामिया उजागर हुई, जो निम्न है:– सेविका केन्द्र पर 25 बच्चों के साथ उपस्थित थी, किन्तु सहायिका केन्द्र से अनुपस्थित पाई गई।

सहायिका द्वारा केन्द्र से अनुपस्थिति के संबंध में कार्यालय पत्रांक 1097/ प्रो0 दिनांक 23.7.2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण/पक्ष रखने हेतु तिथि भी निर्धारित किया गया। निर्धारित तिथि को सहायिका ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए बताया कि निरीक्षण की तिथि 20.4.2013 को अकष्मात् अधिक बीमार हो जाने के कारण डॉ0 से दिखाने किशनपुर चली गई, जिसके करण निरीक्षण के समय मैं अनुपस्थित पाई गई।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई, जिसमे अपीलार्थी के अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता ने अपना

—अपना पक्ष तर्क, एवं कागजात प्रस्तुत किए। इस संबंध में सर्व प्रथम अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 20.4.2013 को महिला पर्यवेक्षिका के निरीक्षण दिन सहायिका इन्दु देवी अचानक काफी बीमार हो गई, एवं बीमार के कारण मैं उस दिन अपने ईलाज हेतु किशनपुर बाजार आकर वहाँ में डॉ0 एस0 के0 चौधरी, मेडिकल आफिसर किशनपुर से चिकित्सा कराई जिसे अवलोकन कराया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निरीक्षण की तिथि को मोबाईल टाबर सही रूप से कार्य न करने के कारण अपनी बीमारी की सूचना मेरे द्वारा केन्द्र की सेविका या महिला पर्यवेक्षिका को नही दी जा सकी, जो मेरी भुल कही जा सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सहायिका पुरी मुस्तैदी एवं लगन के साथ अपने केन्द्र पर कार्य करती है जिसका मेहनत बताता है कि निरीक्षण की तिथि को भी लाभुक बच्चों की सं0— 25 बताई गई है, एवं विधिवत पूरक पोषाहार 6.5 किलो मात्रा का बताया जा राह था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि केन्द्र पहले से भी सुचारू रूपेण चलता आ रहा है । साथ ही इस बात को भी दर्शाता है कि केन्द्र की सेविका/सहायिका के संयुक्त प्रयास से ही केन्द्र का संचालन विधिवत संचालित होते देखा गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अचानक कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, तो सर्व प्रथम बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी का ईलाज कराने के बाद ही कार्य सुचारू, रूपेण कर सकता है, इसे लापरवाही व बहाना नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि one day absence को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्गत में भी मान्यता दी गई है कि one day absence होने पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई असंवैधानिक मानी जायेगी।

उपर्युक्त सारे विवेचनाओं निष्कर्षों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि चूँकि सहायिका बीमार हो जाने के कारण निरीक्षण की तिथि को केन्द्र से अनुपस्थित पायी गयी, साक्ष्य स्वरूप उन्होंने किशनपुर प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का चिकित्सा पूर्जा संलग्न है अतः जो प्रमाणित करता है कि सहायिका बीमार होने के कारण केन्द्र पर नहीं आई। अतः चयन मुक्ति आदेश सही नहीं है। petitioner was absent on the date of inspection of the enter and her leave was not sanctioned but this does not justified extreme punishment of her dismissal. माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के पारित आदेश C.W.J.C.NO- 317/ 2014 में बिना सूचना के भी एक दिन अनुपस्थित रहने पर चयन मुक्ति आदेश नहीं किया

जा सकता है– One days absence of an employee from her duty without leave is not such a grave charge that it may entail disengagement from her service. There fore punishment awarded to the petitioner is apparently too harse and shocking यहाँ तो one days absence पर sufficient कागजात भी चिकित्सा पदाधिकारी का पूर्जा भी दिए गए है। अतः न्यायालय निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के आदेश ज्ञापांक 1693/ प्रो0 21.11.2013 को खंडित करते हुए सहायिका श्रीमती इन्दु कुमारी को पुनः आदेश निर्गत के तिथि से चेतावनी सहित सहायिका के पद पर चयन को बरकरार रखती है। सहायिका को निदेश दिया जाता है कि वे पुनः मुस्तैदी व जबावदेही के साथ केन्द्र के समुचित संचालन में आवश्यक सहयोग करेगी। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा